न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 188/2014
प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 10/11/2014
निर्णय दिनांक : 08/05/2017

बाबूलाल पुत्र किशनलाल, जाति खटीक, निवासी मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – श्री गिरधारीलाल वर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 08/05/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2063 के आराजी खाता संख्या 282 के आराजी खसरा नम्बर 468 रकबा 1.9000 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.9000 हैक्टेयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका प्रार्थी एकमात्र काबिज काश्त एंव खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है, प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बाबूलाल है, लेकिन उक्त आराजीयात में सहवन से टाईपिंग मिस्टेक से प्रार्थी का नाम बाबूलाल के स्थान पर बालू दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बाबूलाल हैं। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, परिचय–पत्र, आधारकार्ड व अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम बाबूलाल ही दर्ज हैं तथा प्रार्थी के नाम दर्ज अन्य आराजी खाता

Scanned by CamScanner

संख्या 34 में भी प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल ही दर्ज है, जिससे भी साबित है कि उक्त राजस्व अभिलेखों में जो प्रार्थी का नाम बालू दर्ज किया गया है, वह मात्र सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से हुआ हैं एवं काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य हैं। अभी हाल ही में दिनांक 15/10/2014 को प्रार्थी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया, तब तहसीलदार महोदय को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोंई कर इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की सलाह दी, इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावें कि प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज चालू राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी का नाम बालू पुत्र किशना के स्थान पर बाबूलाल पुत्र किशनलाल खटीक दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। वकील प्रार्थी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

दिनांक 08/05/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा में पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2063–2063, राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि विवादित आराजीयात हाल रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बाल पुत्र किशना कौम खटीक सा0 देह खातेदार दर्ज है, प्रार्थी ने अपना प्रार्थना–पत्र पेश कर अपना नाम बालू पुत्र किशना के स्थान पर बाबूलाल पुत्र किशनलाल खटीक दुरूस्ती करने का निवेदन किया है, तहसीलदार दूदू ने अपने जवाब में यह स्थिति स्पष्ट की है कि विवादित

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

आराजीयात खातेदार को जरिये आवंटन प्राप्त हुई है, जो आवंटन के पश्चात राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है, इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बालू पुत्र किशना खटीक को आवंटन से प्राप्त हुई है और वरवक्त आवंटन भी यही नाम दर्ज था। जिससे अब प्रार्थी द्वारा उक्त त्रुटि को शुद्ध नही करवाया जा सकता है, उक्त त्रुटि दुरूस्ती योग्य नही पायी जाती है, तहसीलदार दूदू ने अपने जवाब में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने बाबत जवाब दिया है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य पाया जाता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विवादित आराजी खसरा नम्बर 468 रकबा 1.90 हैक्टेयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू जिला जयपुर बाबत दुरूस्ती इन्द्राज खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08/05/17 को कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा में मजमे आम में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी / उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम दूदू, जिला-जयपुर।

...लत. श्री त्रिलोकचन्द मीना आर.ए.एस

बाबूलाल बनाम तहसीलदार

दावा बावत

मुकदमा नं. 188/2014 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गिरधारीलाल वर्मा-अधिवक्ता प्रार्थी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र विवादित आराजी ख.नं. 4682 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम भभाणा-तहसील दूदू जिला-जयपुर बाबत दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है।

मुबलिग बाबत

फीसदी ... आज की तारीख से

इस मुकदमें के मय सूद बशरह उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 05 सन् 2017 को

दस्तखत

ओहदा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी ...)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...ताना वकील			खर्चा गवाहान.		
...गवाहान			फीस कमिश्नर		
...कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...इज़राय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...फरिक					
मीज़ान			मीजान		

* इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner